न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास – चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 21/2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर		1 सौरभ शर्मा पुत्र विक्रम शर्मा निवासी अमरसिंह कॉलोनी, नागौर मैसर्सः– सुरभि एजेंसीज, आकाशवाणी, बासनी रोड, नागौर। 2 विक्रम शर्मा पुत्र मालचंद शर्मा निवासी अमरसिंह कॉलोनी, नागौर मैसर्सः– सुरभि एजेंसीज, आकाशवारी, बासनी रोड, नागौर। 3 अनुसूया भटट्ड पत्नी झुमर लाल मालिक निवासी 134, रवि नगर, शुभम फार्म, पाल रोड जोधपुर मैसर्सः– जे के फुड प्रोडेक्टस, जी–101, एगो फूड पार्क, बोरानाडा जोधपुर।

आदेश दिनांक :18.09.2024

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 12-09-2023 को मैसर्स सुरभि एजेंसीज, आकाशवाणी, बासनी रोड, नागौर पर खाद्य पदार्थ Sugar Boiled Confectioinery (Fresco) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 2560 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/1375/एक्ट/2023 /1411 दिनांक 03.10.2023 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना खाद्य पदार्थ Sugar Boiled Confectioinery (Fresco) मिसब्राण्ड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण सौरभ शर्मा पुत्र विक्रम शर्मा निवासी अमरसिंह कॉलोनी, नागौर, विक्रम शर्मा पुत्र मालचंद शर्मा निवासी अमरसिंह कॉलोनी, नागौर तथा अनुसूया भटट्ड पत्नी झुमर लाल मालिक निवासी 134, रवि नगर, शुभम फार्म, पाल रोड जोधपुर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2) (ii) का उल्लंधन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 24-04-2024 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने दिनांक 18.09.2024 को अपना जवाब प्रस्तुत कर जुर्म स्वीकार किया। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने अपने जवाब में बताया कि ने अपने जवाब में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने हमारी दुकान से Sugar Boiled Confectioinery (Fresco) का सैम्पल लिया जो जांच में मिसब्राण्ड होना पाया गया। उक्त Sugar Boiled Confectioinery (Fresco) मैसर्स जे के फुड प्रोडेक्टस, जी–101, एगो फूड पार्क, बोरानाडा जोधपुर से खरीदा था। अप्रार्थी संख्या 03 खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने मैसर्स सुरभि एजेंसीज, आकाशवाणी, बासनी रोड, नागौर से Sugar Boiled Confectioinery (Fresco) का सैम्पल लिया था जो जांच में मिसब्राण्ड होना पाया गया। उक्त Sugar Boiled Confectioinery (Fresco) मेरी फर्म द्वारा बेचा गया था। अप्रार्थीगण ने बताया कि भविष्य में खाद्य पदार्थ Sugar Boiled Confectioinery (Fresco) को बेचते समय ऐसी गलती नहीं करेगें। लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार किया तथा दोष मुक्त करवाने एवं कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया है।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या क्रमांक क्रमांक एलएस/1375/एक्ट/2023 /1411 दिनांक 03.10.2023 के अनुसार खाद्य पदार्थ Sugar Boiled Confectioinery (Fresco) का नमूना मिसब्राण्ड होना पाया गया। इसलिये अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लंधन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 01 सौरभ शर्मा पुत्र विक्रम शर्मा निवासी अमरसिंह कॉलोनी, नागौर तथा अप्रार्थी संख्या 02 विक्रम शर्मा पुत्र मालचंद शर्मा निवासी अमरसिंह कॉलोनी, नागौर पर संयुक्त रूप से रूपये 25,000/– अक्षरे पच्चीस हजार रूपय तथा अप्रार्थी संख्या 03 अनुसूया भटट्ड पत्नी झुमर लाल मालिक निवासी 134, रवि नगर, शुभम फार्म, पाल रोड जोधपुर पर रूपये 50,000/– अक्षरे पच्चास हजार रूपये, कुल रूपये 75,000/– अक्षरे पचहत्तर हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थीगण को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थीगण से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/9/24

(चम्पालाल जीनगर)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)